

समाहरणालय, पटना ।
(शस्त्र शाखा)

फोन न० 0612-2219545 (का०)
फैक्स न०-0612-2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

—: आदेश :—

22-05-2014

श्री दिनेश्वर प्रसाद शर्मा, पिता—श्री सहदेव सिंह, सा०—पटेल नगर, देवाश्रम सहदेव पथ, थाना—शास्त्रीनगर, जिला—पटना द्वारा एक डी०बी०बी०एल० गन की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2010 में समर्पित किया गया। आवेदक से प्राप्त आवेदन पर विविध शस्त्र वाद सं०—09—156/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर दिनांक—22.05.2014 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई।

निर्धारित तिथि को आवेदक का पक्ष सुना गया एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया गया। सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित हैं। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान—माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस कारण नहीं बताया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक—47/गो०, दिनांक—10.01.2011 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गयी है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना के पत्रांक—7/सचि०, दि०—07.01.2011 द्वारा थानाध्यक्ष, शास्त्रीनगर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित कर मूल में संलग्न कर अवलोकनार्थ भेजा गया है। थानाध्यक्ष, शास्त्री नगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना में कार्यपालक अभियंता के पद पर पदस्थापित हैं। आवेदक के पिता के नाम पूर्व से एक डी०बी०बी०एल० गन है, जिसे आवेदक अपने नाम करना चाहते हैं। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका—10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के बावजूद आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को मात्र अग्रसारित किया गया है, कोई अनुशंसा अंकित नहीं की गई है।


शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेदन की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, और उप—धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुदत्त करने से इन्कार करेगा :

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन, उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक डी०बी०बी०एल० गन हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री दिनेश्वर प्रसाद शर्मा, पिता-श्री सहदेव सिंह, सा0-पटेल नगर, देवाश्रम सहदेव पथ, थाना-शास्त्रीनगर, जिला-पटना के आवेदित एक डी0बी0बी0एल0 गन अनुज्ञप्ति आवेदन-पत्र को अस्वीकृत किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।



जिला दण्डाधिकारी,
पटना।